

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश अधिकारी विनायक दुगा मोटर मार्ग का निर्माण उत्तराखण्ड			
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र				
ii) जिला	अल्मोड़ा			
iii) वन प्रभाग	वन प्रभाग अल्मोड़ा			
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	राज्य वन भूमि हे. 0.558	वन पंचायत भूमि हे. 1.260	आरक्षित वन भूमि हे. —	कुल वन भूमि हे. 1.818
v) वन की कानूनी स्थिति	रिजर्व वन एक पंचायत अधिकारी			
vi) हरियाली का घनत्व	1.4			
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	.168 वृक्ष प्रभावित होते हैं।			
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की कोई सम्भावना नहीं है।			
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी				
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।			
xi) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।			

8		
8-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है।
9-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं ।
10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है
	ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है फ्लैट स.....
	iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	बाज, काफल, उतीस, देवदार आदि
	iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है।
	v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है
11-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	
12-	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
	i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	3688.30 वर्ग कि० मी०

ii.	जिला का वन क्षेत्र।	1309.49 वर्ग कि०मी०
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	524 मामला 885.2334 हे०
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1539.7333 हे०
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	1027 हे०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	1027 हे०
(क)	वन भूमि पर	—
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	—
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव को स्वीकृत करने वाले 0-10, 10-20 लाख के बीच के प्रस्तावों को प्रतिपूरक प्रस्तावों के द्वारा स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावित किया जाये 40-50 लाख के प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए स्वीकृत किया जाये।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दिनांक.....

स्थान.....

वन दरोगा

वन क्षेत्राधिकारी
हाराहाट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

नाम
प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी